उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

मिस आवेदन संख्या–05/2025–26

आयशा खातुन

बनाम्

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बोआरीजोर एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 9/7/25

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया।

वर्तमान वाद में, आवेदिका आयशा खातुन, पति–शाहरूख अंसारी, सा0–लीलातरी, थाना–राजाभीठा, प्रखंड–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा द्वारा ऑगनबाड़ी केन्द्र, लीलातरी दक्षिणी में दिनांक–05.08.2024 को सेविका के चयन हेतु कराये गये आम सभा को रद्द करने तथा नये सिरे से आम सभा कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

चूँकि, उपायुक्त के न्यायालय में उन्हीं आवेदनों पर सुनवाई की जाती है, जिनमें उपायुक्त को संबंधित धारा के अन्तर्गत सरकार से शक्ति प्राप्त होती है। आवेदिका के आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त मामले का निष्पादन सक्षम कार्यालय/विभाग द्वारा ही होना है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय में आवेदिका के आवेदन पर वाद चलाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदिका के आवेदन को प्रविष्टि के बिन्दु पर खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

9/7/25

उपायुक्त,
गोड्डा।

9/7/25

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Anjali Yadav
Date: 2025.10.15 14:08:44 +05:30
Location: 192.168.1.36